जी इस बात की जानकारी हमें दे दें कि उसके मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं। यह हम जानना चाहेंगे। **(व्यवधान)**

श्री पी० शिव शंकर: बात यह है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने देखा ही नहीं है तो बिन्दु क्या बताएंगे। **(व्यवधान)** मैं तो उनको रोक रहा हूं और यह कह रहा हूं कि जब उन्होंने देखा ही नहीं है तो मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या बतलाएंगे।

श्री पवन कुमार बांसल: आप बिना देखे हाऊस में क्यों आते हैं। **(व्यवधान)**

डा० बापू कालदाते: मई, 1987 की रिपोर्ट को आप दो साल में नहीं पढ़े हैं। **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय: सभापति जी, सदस्यों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था तो है मन्त्रियों की ट्रेनिंग की भी आप व्यवस्था कराइये तब जा कर सदन चलेगा। **(व्यवधान)**

श्री सभापति: बैठिये बैठिये, कुलकर्णी जी सवाल कर रहे हैं।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the senior parliamentarian, seasoned parliamentarian is standing with his back to the Chair.

MR. CHAIRMAN: No, No.

SHRI A. G. KULKARNI: I was saluting my colleagues and asking them to keep quiet so that I can put a question to the Deputy Prime Minister and he may understand it. It seems there is difficulty in understanding English for him. I will ask him in Hindi. I cannot speak chaste Hindi. But I am putting the question in Hindi so that he can understand. मैं कृषि मंत्री और उप प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितने नाइट्रोजनयुक्त खाद के कारखाने लगा देंगे। यह प्रश्न हम लोगों ने आपसे पूछा था। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप जो नये खाद के कारखाने लगाने वाले हैं। उसका कोआपरेटिव में कितना बैठा देंगे। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में बैठाने के खिलाफ हम लोग हैं। "कृभको" है, "इफको" है, बड़े अच्छे प्लांट ये देश में चल रहे हैं। एशिया में नम्बर एक पर ये कोआपरेटिव के प्लांट हैं ...**(व्यवधान)** मैं बोल रहा हूं देवी लाल जी कि आप भी कोआपरेटिव वाले हैं। मैं आठवें प्लान पर एक एश्योरेंस चाहता हूं। कोआपरेटिव के प्लांट लगाने से खेती वालों को ज्यादा सुविधा होती है। सस्ता मिलता है तो प्राइवेट सेक्टर को देना ठीक नहीं है। उसके लिए जैसा कोआपरेटिव सुगर फैक्ट्रीज में आप लोगों ने हमारी सरकार के ...**(व्यवधान)** फैसले पर कुछ डिसिजन लिया है तो फर्टिलाइजर प्लांट में कोआपरेटिव को प्रफरेंस दिया जाये और इनको प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया जायेगा ऐसा आश्वासन दें। पहले क्वेश्चन में ओसवाल एग्रो को आपने लाइसेंस दिया ऐसा बताया। क्यों दे दिया। "कृभको" वाले के पास पैसा नहीं है ऐसा जवाब आया। कौन बोलता है कि पैसा नहीं है। आपने बैलेंस शीट देखी है, कहां से बात करते हैं ...**(व्यवधान)** मैं देवी लाल जी से जानना चाहता हूं कि अगली योजना में कोआपरेटिव के बहुत से प्लांट ... **(व्यवधान)** लगाने का प्रस्ताव है ...**(व्यवधान)**

श्री देवी लाल: पहले जो फैसले किये गये हैं, चेयरमैन साहब, उसकी जिम्मेवार पिछली सरकार है। आइंदा जो फैसले होंगे उनमें आपके सवालों और सुझावों पर गौर किया जायेगा, पूरा ख्याल रखा जायेगा ताकि जो कमी है खाद की उसको ज्यादा से ज्यादा पूरा किया जा सके।

MR. CHAIRMAN: Next Question. Question No. 83.

SHRI T.R. BALU: Sir, the ruling party Members have not been allowed to put any question.

Grant of HRA, CCA, etc. to Journalists and non-Journalists

*83. SHRI KAPIL VERMA:†
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have received the replies from the employers and the employees to the proposals notified by Government for granting house rent allowance and city compensatory allowance to the working journalists and the non-journalists employees of newspapers and news agencies; if so, what are the main features thereof and what decision has been taken by Government thereon; and

(b) whether Government have set up any experts' group to recommend other

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kapil Verma.

allowances such as medical, leave travel etc.; if so, the details thereof and if not, the reasons for the delay in this regard?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

In pursuance of the proviso to clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the Working Journalists & Other Employees (Conditions of Service) & Miscellaneous Provisions Act, 1955, notices were given to all persons likely to be affected by the modifications proposed by the Government in the matter of rates of House Rent Allowance and City Compensatory Allowance to make their representations in writing. Representations were received from employers' and employees' organisations of newspaper establishments and News Agencies. The employees' organisations largely welcomed the proposals for modifications made by the government. The employers represented against the implementation of the modified proposals on ground of their not having the capacity to pay.

2. Based on the recommendation of the Bhachawat Wage Boards, the Government have appointed an Expert Committee to go into the question of safety, health and hygiene including medical allowance, leave travel concession and overtime allowance in respect of journalists and non-journalists employees of news-paper establishments and news agencies. The Committee was set up on 9th November, 89 and shall submit its report within six months of its constitution.

SHRI KAPIL VERMA: Sir, how callous this Government is, how indifferent it is, to the demands of the working journalists is best illustrated by the reply that the honourable Minister has given to my question. If you read my question, you will see that I have asked about the decision of the Government. It is very clear. The question is what the decision of the Government is on granting of house rent allowance and city compensatory allowance and what the main features of the proposals are. But the Government has not replied to it at all. A big agitation is going on, as you know, Sir, and hundreds of newspaper employees are being arrested. "The Indian Express" and "The Times of India" have been seriously affected and only three or four newspapers have implemented the *Bachawat Award* in the country. But the Government is not even replying to this qustion. This Government came to power about a month ago and during this one month this Government has not taken any dicision on granting of house rent allowance, city compensatory allowance, etc. Since the Government has not taken any decision so far, I would like to know what the reasons therefor are. What are the replies that have been received from both sides to the Government proposals and what steps is the Government going to take to give immediate relief to the journalists in respect of house rent allowance C.C.A. and other things? This is what I would like to know.

श्री राम विलास पासवान: चेयरमैन सर, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है मैं समझता हूं कि इससे साफ जवाब और कुछ नहीं दिया जा सकता है। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार को समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों को श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता प्रदान किये जाने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये प्रस्तावों पर नियोजकों और कर्मचारियों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं, हमने कहा कि ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल वर्मा: आगे पढ़ें कि सरकार ने क्या निर्णय किया है। आगे सेन्टेन्स पढ़िये।

श्री राम विलास पासवान: आप सुन तो लीजिए ना। मैं आपको बिल्कुल सेटिसफाई कर दूंगा। मैं आपसे ज्यादा इस मामले में चिंतित रहता हूं और जितना आप पूछेंगे, उससे ज्यादा मैं जवाब दूंगा। इसलिए आप धैर्य रख कर सुनिये।

तो मैंने कहा, हां। उसके बाद इन्होंने कहा कि उनकी मुख्य-मुख्य विशेषतायें क्या हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय लिया गया है?

मैंने अपने जवाब में, चेयरमैन साहब यदि आप

पढ़ेंगे, तो मैंने साफ इसमें कहा है कि मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूरक भत्ते की दरों के मामले में सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी किये गये थे। नोटिस 5 अक्तूबर को जारी किये गये थे और एक महीने का समय दिया गया था। 5 नवम्बर को जवाब आया और 5 नवम्बर को जवाब आने के बाद सारी औपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं और उसके बाद सरकार निर्णय ले लेगी।

श्री कपिल वर्मा: आपने निर्णय क्या लिया है?

श्री राम विलास पासवान: चेयरमैन साहब, इनका कहना है कि क्या-क्या निर्णय लिये गये हैं। इसमें दो पक्ष हैं, जो इम्पलायर हैं, उनको इनके ऊपर आपत्ति थी और जो इधर से पत्रकार हैं और गैर-पत्रकार हैं, उनका कहना था कि हमको कम मिला है और इसके बाद सरकार ने संशोधन करके सारी की सारी चीज कर ली हैं और यदि आप चाहें, तो मेरे पास सारी की सारी कापी हैं उनकी तरफ से और मैं इसको सदन के पटल पर रख दूंगा।

श्री कपिल वर्मा: आपने फैसला क्या किया, यही बता दीजिए? सरकार ने दोनों साइड्स को सुनने के बाद क्या फैसला लिया है?

श्री राम विलास पासवान: सरकार पक्ष में निर्णय लेने जा रही है और जितनी जल्दी होगा, उसको रख देंगे।

श्री कपिल वर्मा: क्या निर्णय लिया है?

डा० बापू कालदाते: इतने सालों में क्या निर्णय लिये, अब एक ही महीने में पूछने लगे हैं।

श्री राम विलास पासवान: जहां तक हाऊस-रेंट का मामला है, जो बीस लाख और उससे ऊपर के सिटी हैं, यदि कहें तो मैं सभा पटल पर रख दूं, पढ़ने में काफी समय लग जाएगा। क्लास आफ न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट I-ए, जिस केटेगरी में बीस लाख और उससे ऊपर आते हैं, बछावत कमेटी ने 11 प्रतिशत रिकोमेंड किया था, जिसको हम लोगों ने 15 प्रतिशत रिकोमेंड किया है, उसी तरह से जो 10 प्रतिशत था, उसके लिए हमने 14 प्रतिशत रिकोमेंड किया गया है, जो 9 प्रतिशत था, उसके लिए 12 प्रतिशत रिकोमेंड किया गया है।

फिर उसके बाद जो दस लाख से बीस लाख के बीच का है तथा तीसरा दस लाख से कम है, यह बहुत लम्बा-चौड़ा है और इसे मैं सदन के पटल पर रख दूंगा।

श्री सभापति: आपने बढ़ा दिया है।

श्री राम विलास पासवान: हां, हमने बढ़ाया है।

श्री कपिल वर्मा: सभापति जी, इस मामले में मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री सभापति: वह कहते हैं कि हमने परसेंटेजज़ बढ़ाये हैं।

श्री कपिल वर्मा: उन्होने कहा है कि सरकार ने दोनों साइड्स को नोटिस इशु किया है। अब उसका फैसला करना है नोटिस का रेप्लाईज़ जानने के बाद वही बाद में ला बन जाएगा— तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिरी फैसला, दोनों साइड्स को सुनने के बाद क्या किया है?

श्री सभापति: वह अभी करने वाले हैं।

श्री राम विलास पासवान: वही तो मैंने कहा है ना कि सरकार को घोषणा करने में — सरकार में आप लोग थे, मालूम है कि सरकार जब घोषणा करती है — लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी फैसला होने जा रहा है, वह फैसला इम्पलायीज़ जो हैं, उनके पक्ष में होने जा रहा है।

श्री कपिल वर्मा: यह वेज बोर्ड अवार्ड जो हुआ है, हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत की बात पत्रकारों के लिए यह है कि हिंदुस्तान में सिर्फ चार-पांच अखबारों ने इसको इंप्लिमेंट किया है। हमारी सरकार जो है, वह यह सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर डालने की कोशिश कर रही है और यह कह रही है कि हमने चीफ मिनिस्टर्ज़ को लिख दिया है।

सर, आप सेंटर में खुद मिनिस्टर रहे हैं। आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने यह वेज बोर्ड जर्नलिस्ट्स को दिया था और उस वक्त 1959 में जब ऐसा ही प्रश्न उठा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक सलूशन इसका निकाला था और उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत की चेयरमैनशिप में कैबिनेट की एक सब-कमेटी एप्वाइंट की थी। उस कमेटी ने इम्पलायर्ज़ और इम्पलायीज़ को बुला कर उसका फैसला करवा दिया था।

अब मैं सरकार से जानना चाह रहा हूं कि क्या सरकार उस प्रेसीडेंट को मान कर के और टैक्नीकेलेटीज़ में न जाकर के और स्टेट गवर्नमेंट पर न छोड़ करके, इस तरह की कमेटी बनाएगी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कोई

इंट्रेस्टड नहीं है, यह बड़े-बड़े अखबार के मालिक है, बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट हैं, इस शासक दल की भी मदद की है इम्पलायर्ज़ की मदद करते हैं, पालिटीशंस और इम्पलायीज़ और जर्नलिस्ट्स की कोई मदद नहीं करता।

तो मैं यह जानना चाह रहा हूं कि क्या सरकार इस प्रकार की इम्पलायीज़ और इम्पलायर्ज़ की कानफ्रेंस बुला करके कमेटी के द्वारा इस मामले को सैटल करेगी क्योंकि आज सेशन का लास्ट डे है, इसलिए मैं पूछ रहा-हूं कि बछावत कमीशन की रिकोमेंडेशंस इंप्लिमेंट हो सकें।

दूसरी बात यह है कि आपकी साइड ने भी बार-बार यह डिमांड की है और यशवंत सिन्हा साहब ने उधर से डिमांड की थी कि इल्लीगल लाक-आऊट जो इंडियन एक्सप्रेस में हुआ है, उसको लिफ्ट किया जाए। लेकिन यह इल्लीगल लाक आउट नहीं लिफ्ट हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो कि डाइरेक्टली दिल्ली सरकार के, सैन्ट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है...**(व्यवधान)** वह उसको लिफ्ट करना चाहिए, आर्डर करना चाहिए। आप बैन करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान: चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ने जहां तक कहा लागू करने की बात कही वह तो सदन सर्वोपरि है, लेकिन जो कानून है वह राज्य सरकारें लागू करती हैं। चाहे मिनिमम वेजेज़ एक्ट हो, चाहे यह सारी की सारी चीज़ें हों और मैं नहीं समझता हूं कि उस तरह कोई मामला हम लायेंगे तो माननीय सदस्य उस तरफ के लोग उसका समर्थन करना शुरू कर देंगे। इसलिए जो कानून है उस कानून के तहत, जब से मैंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला है मैंने दो बार लिखा है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, मैंने मुख्य मंत्री को लिखा है, मैंने...**(व्यवधान)**

श्री कपिल वर्मा: आप कांफ्रेंस दोनों साइड की बुला करके बात करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री राम विलास पासवान: मैंने इसको लागू करने के लिए लिखा है, मुख्य मंत्री को लिखा है। आप जानते हैं कि यह सही है, जहां तक इन्होंने इंडियन एक्सप्रैस का मामला उठाया है, इंडियन एक्सप्रैस के संबंध में हम सभी लोग उसको गंभीरता से ले रहे हैं और बातचीत चल रही है और सरकार चाह रही है कि जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकले, जहां तक हमारा मामला है, मैंने मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया है कि हम यहां से जो बछावत कमेटी की रिपोर्ट है उसके साथ हैं, लेकिन जहां तक उसे लागू करवाने का सवाल है आप जानते हैं कि लागू करवाने में हमारा मंत्रालय उतनी दूरी तक सक्षम नहीं है जितनी दूरी तक आप समझ रहे हैं। इसलिए बातचीत जारी है।

श्री कपिल वर्मा: मैंने कहा था कि दोनों साइड्ज़ को बुला कर बात कीजिए। आप बात करेंगे कि नहीं करेंगे?

श्री राम विलास पासवान: दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है।

श्रीमती वीणा वर्मा: मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि प्रश्न के जवाब के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है तो उस एक्सपर्ट कमेटी के मैम्बर कौन-कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं और क्या उसमें एम्प्लाइज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रेड यूनियन के रिप्रेज़ेंटेटिव उस एक्सपर्ट कमेटी में हैं, यह भी मैं जानना चाहती हूं और दूसरा "बी" पार्ट है कि एजुकेशन एलाउंस के बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री राम विलास पासवान: इन्होंने जो कहा है उसके जवाब में हमने कहा है कि 9 नवम्बर, 1989 को यह कमेटी गठित की गई है और इसकी 6 महीने की अवधि है। 6 महीने का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है। श्री ईश्वरी प्रसाद जी की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है।

श्रीमती वीणा वर्मा: मैंबर कौन-कौन से हैं और उसमें ट्रेड यूनियनिस्ट हैं या नहीं?...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान: चेयरमैन साहब, मैंने कहा कि श्री ईश्वरी प्रसाद, रिटायर्ड सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट आफ् इंडिया इसके चेयरमैन हैं। मैंबर हैं श्री एन० वी० कृष्णन, जो डायरेक्टर जनरल आफ् फैक्टरी एडवाइज़री सर्विसेज़ एंड लेबर इंस्टीट्यूट में हैं, श्री एस० के० पार्थसारथी, एडीशनल सेक्रेटरी हैं, श्री हरिमिन्द्र सिंह, जो रिटायर्ड रिजनल डायरेक्टर, इंटरनेशनल सोशल सैक्युरिटी एसोसिएशन, ये इसके मैम्बर हैं।

श्रीमती वीणा वर्मा: एजुकेशन एलाउंस के बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान: मैंने कहा कि जो कमेटी बनी है वह सारा विचार करेगी।

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील: सभापति महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि सरकार श्रमिक पत्रकारों के सवाल को इतने हल्के तौर से ले रही है, मेरा सीधा सा सवाल है, श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं...**(व्यवधान)** जो सीधा सा सवाल है कि

श्रमिक पत्रकारों के इस मामले में सरकार अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर सौंप रही है, जो कि अपनी जिम्मेदारी को टालने की बात होती है, केन्द्रीय सरकार से मेरा यह सवाल है कि क्या आप हर राज्य सरकार को यह लागू करने के लिए कंपैल नहीं कर सकते हैं? क्या आप इसी तरह से टाल करके अपनी जिम्मेदारी को सौंपते रहेंगे? यह मेरा सीधा सा सवाल है आपसे कि क्या आप इसमें राज्य सरकारों को कंपैल नहीं कर सकते? आप कितने दिनों तक दूसरी सरकारों को कहेंगे कि उस सरकार ने यह किया, अगली सरकार ने यह किया? मालिकों ने आपको यहां तक पहुंचा दिया और आप श्रमिकों को भूल गए।

श्री राम विलास पासवान: चेयरमैन साहब, मैंने अपने पत्र में जो लिखा है, उसमें मैंने हवाला दिया है कि राज्य-सरकार को अधिकार है, जो मालिक उसको लागू न करें उसके लिए दण्ड का भी विधान है और यह पीनल-क्लॉज इसमें है। मैंने कहा कि जो भारत की सरकार है, भारत की सरकार की एक सीमा है और जो दण्ड-विधान है, उसको लागू करवाने का काम, जो राज्य सरकारें हैं या संबंधित जो दूसरे निकाय हैं, उनके ऊपर है।

SHRI DIPEN GHOSH: Mr. Chairman, Sir, out of this question arises a supplementary as to the disputes that are going on between the management of the 'Indian Express' and the workers of the 'Indian Express'. The hon. Minister has already assured in reply to another supplementary put by my learned colleague, Mr. Kapil Verma, that the negotiations or the discussions are going on for settling the dispute. But, Sir, you will surely agree with me and I hope the Minister will also agree with me that when the workers go on a strike to press the settlement of their demands, in order to beat back the striking workers, the employers, and for that matter the management imposes or declares a lock-out. There is a provision to declare a strike illegal but there is no provision to declare a lock-out illegal. And that was the state of affairs in the labour laws encted by the previous Government. And every time we have been demanding that the declaration of lock-out has also to be made illegal. But the previous Government did not concede that...

MR. CHAIRMAN: They are going to do. That is all.

SHRI DIPEN GHOSH: What I am saying...*(Interruptions)* I know why my talk makes their shoe pinch. That also I know.

AN HON. MEMBER: You put your question.

SHRI DIPEN GHOSH: I know when to put the question and in what manner. I am not going to learn from you...*(Interruptions)* Mr. Chairman, Sir, how many Chairmen are presiding over this House, I want to know from you. You are in the Chair, not these people...*(Interruptions)* I have to unlearn what I learnt from you.

MR. CHAIRMAN, Sir, my question...*(Interruptions)* Mr. Salve, you need not salvage that party. You have led that party.

SHRI N.K.P. SALVE: I am only wanting to reminding you when you asked how many Chairmen are there...

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, every time, Mr. Salve is going to salvage that Party...

SHRI N.K.P. SALVE: You are showing your loyalty to them, not to your Party.

SHRI DIPEN GHOSH: I want to see how you salvage that Party.

SHRI N.K.P. SALVE: I have seen you on time, I have seen you hundred times. That is not the question. The question is...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: You put your question.

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, the discussion is going on. I want that this dispute has to be settled as quickly as possible. And for that, certain hard option has to be exercised by the new Government. They have assured in the President's Address the right to infor-

mation. But if a newspaper remains closed, the people are denied the right to information. So, even from that point of view, I would like to know whether there is a time-frame by which this dispute has to be settled. And if not I would request the Minister to fix up a time-frame by which this dispute is settled.

श्री राम विलास पासवान: चेयरमैन साहब, जितना जल्द होगा मामले को सुलझा लिया जाएगा और हम मामले को सुलझाना भी चाहते हैं। लेकिन अभी कोई ऐसी बात बतलाकर जो मामला सुलझने वाला है, मैं उसको उलझाना नहीं चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य को इतना एश्योर करता हूं कि जितने आप चिंतित हैं उतना ही मैं भी चिंतित हूं और मामले को सुलझा लिया जाएगा।

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Mr. Chairman, Sir, I do not doubt the sincerity of the Minister in helping the working journalists. But I would like to apprise him that there are several handicaps in the implementation of the Bachawat Award. It will be nice of him if he accepts my suggestion. While this report was given after a prolonged delay, we provided legal aid to the working journalists and I was involved in that process. They wanted the assistance of our Law Officers and our Attorney-General. We provided them with their services. Now that you are so close to these press barons, will you give an assurance to this House that you will also provide the working journalists with the assistance of the Attorney-general and the Solicitor General in defending this Award in the court? I know that *the Times of India* is fighting a case against the working journalists in Delhi courts. There is also some case in Lucknow courts. Every-where in the States the press barons are going to have it stayed. Now tell me have you got the courage to fight these press barons who have helped you in the elections?

श्री राम विलास पासवान: चेयरमैन साहब, मैंने कहा कि लेबर मंत्रालय का काम है कानून की रक्षा करना और इस कानून की रक्षा करने के लिए जो भी उपयुक्त कदम होंगे उठाए जायेंगे।

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Mr. Chairman, Sir, I would like to specifically know whether they are going to provide legal aid to the working journalists or not.

श्री राम विलास पासवान: अब ये स्पैसिफिकली तो नहीं कह सकता। मैंने तो कह दिया है कि कानून के तहत हमेशा से हमारा श्रम मंत्रालय काम करता आया है। मैंने कहा है कि बछावत कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के पक्ष में हम हैं और उस पर सरकार का यथा-सभंव प्रयास हो रहा है। मैंने अपनी लाचारी भी बतला दी है कि लेबर मंत्रालय की उसमें कितनी दूरी है और उसके बाद जो भी संभव उपाय है, हम कर रहे हैं।

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Sir, my question is very specific. He pretends in the House as an outstanding socialist. At least I expect from him a positive reply. I would like to know whether your government is prepared to provide the same legal aid to the working journalists as we were providing. I want a specific answer to this question.

श्री राम विलास पासवान: चेयरमैन साहब, मैंने कहा कि इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। मेरी सरकार करने जा रही है, करेगी और जो बात यह कहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं आएगी।

श्री सभापति: सवाल तो लीगल एड के बारे में है। उसका जवाब दीजिए। ...**(व्यवधान)**...उनका सवाल बड़ा छोटा-सा है। लीगल एड आप प्रोवाइड करेंगे?

श्री राम विलास पासवान: चेयरमैन साहब अलग-अलग अधिकार हैं। मालिक को यदि अधिकार है कि कोर्ट में जाय तो लेबर मंत्रालय की हैसियत से मुझको भी अधिकार प्राप्त है कि उतने ही जोर से हम उसके पक्ष में जो जायज चीज है उसकी हम रक्षा करें। इसमें इनके कहने और न कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति: आप कह दीजिए कि देंगे।

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Mr. Chairman, Sir, I sent my Attorney-General. Are they prepared to send their

Attorney-General? This is not an unmeaningful discussion. Now that the Prime Minister is here, I repeat my question. I deputed our Attorney-General to see that this Wage Board award is implemented and no stay was granted. Are you prepared to say that you will instruct your Law Offices to go to the aid of these working journalists, or is it only lip-sympathy? Please answer my specific question.

श्री राम विलास पासवान: चेयरमैन साहब, ये भविष्य की बात पूछ रहे हैं। आप हम से भविष्य का जवाब चाहते हैं। यह कैसे संभव है? कल क्या होगा, इस सम्बंध में आज ही एश्योरेंस चाहते हैं। How that question arises from here?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: In view of the presence of the Prime Minister, I wish the Government to give a categorical answer to a simple question, whether the Government is ready to declare illegal the lock-out announced by the management of the Indian Express. In view of the presence of the Prime Minister I would like the Labour Minister to tell me straight whether they consider this lock-out to be illegal and in view of this illegal lock-out, whether the Governement, the present Government, without following the footsteps of the predeccessor Government, will declare the lock-out to be illegal. That is the (a) part of my question. The (b) part of my question is what the Government proposes to do to help the working journalists who are fighting for the implementation of the Bachawat Award, in view of the fact that the management is going out of its way to stop its implementation? How are they going to come to the aid of the struggle of the working journalists for the implementation of the Bachawat Award?

श्री राम विलास पासवान: मैंन पहले ही कहा कि बछावत कमेटी की सिफारिश को लागू करवाने के लिए श्रम मंत्रालय की हैसियत से जितनी दूर तक हमसे बन पड़ेगी, हम उसमें करेंगे। दूसरी बात लाक-आऊट का मामला है। आप माननीय सदस्य तमाम विद्वान सदस्य हैं, आपको मालूम है बहुत सारी चीजें हैं जो मान लेते हैं कि कोर्ट सारी चीजों से संबंध रखती है और मैंने जैसे कहा कि... **(व्यवधान)**...

SHRI A.G. KULKARNI: Mr. Minister, you are treating this like a football game. Is it a football game? (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I asked a straight quesiton. I would like to know whether the Government will declare this lock-out as illegal. (*Interruptions*) I asked a very simple question. The question was not addressed to you. It was addressed to the Prime Minister. (*Interruptions*)

श्री राम विलास पासवान: चेयरमैन साहब, मैंने कहा कि मामला सुलझने पर है और माननीय सदस्य मामले को उलझाना चाहते हैं। हमारे पास जो भी आवेदन-पत्र आते हैं-चाहे मेनेजमेंट की तरफ से हों या मजदूर की तरफ से-जो कानूनी चीज होती है उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन मामले को उलझाना यहां क्यों चाहते हैं? ...**(व्यवधान)**...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I would like to know the Government's opinion whether this lock-out is illegal. Secondly, I would like to know whether the Government will declare this lock-out as illegal. He has avoided the question.

श्री राम विलास पासवान: इसका जवाब अभी हम क्या दे सकते हैं। जो लीगल प्वाइंट है, उसको लीगली दखेंगे। ....**(व्यवधान)**....

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Mr. chairman, Sir, I do not believe in the policy of the Government. it is against the interests of the working class. (*Interruptions*)

श्री राम विलास पासवान: चेयरमैन साहब, कल प्रधान मंत्री जी ने एक-एक करके सारी नीतियों पर घोषणा की है और उसके ज्यादा मजदूर के पक्ष में कोई घोषणा नहीं हो सकती है। माननीय सदस्य ... **व्यवधान)**...

डा० रत्नाकर पाण्डेय: सरकार पक्षपात की बात करती है ....**(व्यवधान)**.... लाक-आऊट को इल-लीगल डिक्लेयर करने की आपकी सरकार की हिम्मत नहीं है। यह लज्जा और शर्म की बात है कि

आपकी कथनी और करनी में फर्क है और पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात आप करते हैं ....(व्यवधान)....

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): Mr. Chairman, Sir, may I assure the House that the interests of the working class will be protected? (*Interruptions*)

डा० रत्नाकर पाण्डेय: प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इल-लीगल घोषित किया है या नहीं लाक-आऊट को? ....(व्यवधान)....

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Let me complete the sentence. (*Interruptions*) Otherwise, the Question Hour will end. (*Interruptions*) Let me complete my answer. (*Interruptions*) Sir, the Government is committed to the implementation of the Bachawat Award. The legality of the lock-out will be examined expeditiously. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: This is the new Government. (*Interruptions*) Your Government never did like this. (*Interruptions*) Sir, I congratulate the Prime Minister. (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, while congratulating the Prime Minister on this outright declaration, I would like to know whether ....

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: What is the declaration?

SHRI DIPEN GHOSH: I would like to know, how many times, during the Congress regime, the employers had declared lock-outs in their establishments and how many times this Bhardwaj and others had declared them illegal.

12.00 NOON

SHRI DIPEN GHOSH: Shri Bhardwaj was the Law Minister. Shri Shiv Shanker was the Law Minister. How many lock-outs were declared illegal during your period?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Awarding of the Shahjahanpur Fertiliser Project to a Ludhiana-based Company

*81. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to State:

(a) whether it is a fact that a Ludhiana-based company has recently been awarded the Shahjahanpur Fertiliser Project despits the fact that the company has neither any experience in this sphere nor has the finance for its operations; and

(b) if so, what are the details thereof stating the considerations which weighed with Government to award the project to the company ignoring the claim of the well-established public sector unit KRIBHCO?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) A letter of Intent for the Shahjahanpur Fertiliser Project was issued to M/s Oswal Agro Mills Ltd. and was subsequently transferred to its group company M/s Bindal Agro Chem. Ltd.

(b) This company was given preference over KRIBHCO, a cooperative sector unit, in the hope that funds available in the Cooperative Sector would be utilised for alternative projects. Besides, due to its higher debt equity ratio there would be a saving in subsidy.

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किया जाना

*84. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:
श्री राम जेठमलानी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षा-प्रसार निदेशक द्वारा कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने के तरीकों से संबंधित सघन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक केन्द्र की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के अन्य भागों में ऐसे